

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम

3328. श्री सुन्दर सिंह भंडारी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं-बारहवीं कक्षाओं में प्राथमिक कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम 300 से अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में चलाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन विद्यालयों और चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक विद्यालयों को इस प्रयोजनार्थ अब तक आवंटित की गई आवर्ती और अनावर्ती धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन/समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा परिणाम क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता, जागरूकता और अध्ययन (क्लास) एक पूर्णतः वित्त पोषित परियोजना है। इसके अन्तर्गत 325 केन्द्रीय विद्यालयों में 1984-85 से कम्प्यूटर शिक्षा कार्यान्वित की गई है। छात्रों के मध्य कम्प्यूटर जागरूकता उत्पन्न करने और नियंत्रण एवं सूचना प्रक्रिया उपकरण के रूप में कम्प्यूटर की कार्यक्षमता से उन्हें परिचित कराना 'क्लास' परियोजना के लक्ष्य हैं।

(घ) केवल आवर्ती व्यय के रूप में 80,000/- रु. प्रति वर्ष की राशि प्रत्येक स्कूल को स्वीकृत की गई है।

(ङ) और (च) जी हां। भारत सरकार और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने केन्द्रीय विद्यालयों सहित विभिन्न स्कूलों में 'क्लास' परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। वहाँ पर इसके कार्यान्वयन में मुख्यतः विविध एजेंसियों का शामिल होना, विद्यालय समय के बाद के निर्देश, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और अनुदेशीय सामग्री की अपर्याप्ता और निर्धारित पाठ्यक्रम न होने से संबंधित कुछ कमियाँ का पता चलता है। अतः इन कमियों के परिशोधन को ध्यान में रखते हुए आठवीं योजना के दौरान एक संशोधित योजना अपनाई गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियतकालिक स्थानांतरण

3329. श्री ईश दत्त बादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतार्याकित प्रश्न 631 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संचालक मंडल द्वारा वर्ष 1990 में स्थानांतरण संबंधी कोई दिशा-निर्देश अनुमोदित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों से संबंधित धाराओं का पाठ क्या है; और

(ग) यदि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पांच वर्षीय स्थानांतरण नीति तैयार करने पर विचार नहीं किया जा रहा है, तो केन्द्रीय विद्यालयों के पांच वर्ष से अधिक समय के पदस्थ कर्मचारियों की संख्या और उनका विवरण एकत्र किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि विद्यमान नीति की कार्यात्मक समीक्षा करने के लिए कर्मचारियों के विवरण मंगाए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिशा-निर्देशों में प्राधान्याचार्य तथा उप-प्राधान्याचार्यों के स्थानांतरण से संबंधित उपबंधों के ब्यौरे

1. ऐसी कोई नियत अवधि नहीं है कि जिसके पश्चात् किसी शिक्षक/उप-प्राधान्याचार्य/प्राधान्याचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त (अगले वर्ष से उप-प्राधान्याचार्य तथा इससे ऊपर वाले पद के लिए 5 वर्ष की अवधि) का स्थानांतरण करना आवश्यक हो।

2. रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर पी.जी.टी./उप-प्राधान्याचार्य/प्राधान्याचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्तों की पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती पर ही उन्हें, जहाँ इस समय वे तैनात हैं अथवा रह रहे हैं, के अलावा किसी अन्य राज्य में तैनात किया जाएगा और सामान्य तौर पर यदि कोई अपरिहार्य कारण नहीं है तो उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक उस राज्य से हटया नहीं जाएगा।

3. उन पां.जी.टी./उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों सहायक आयुक्तों, जिनकी सेवा-निवृत्ति में 3 वर्ष अथवा उससे कम समय है, को रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर और यदि वह गृह राज्य में पहले से ही कार्यरत है, को पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती पर उससे बाहर तैनात नहीं किया जाएगा। इसी तरह, जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष या इससे कम अवधि है तथा वे अपने गृह राज्य से बाहर कार्यरत हैं उनको पदोन्नति पर रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, उनके गृह राज्य में तैनात करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

मध्य प्रदेश में बाल विवाह

3330. श्री दिलीप सिंह जुदेव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में धन की खातिर नाबालिग लड़कियों का जबरदस्ती विवाह किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाये गये हैं; और

(ङ) कितनी लड़कियों को ऐसी घटनाओं में शामिल इन लोगों के जुगल से बचाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बासब राबैरवरी): (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

3331. श्री ईश दत्त यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय विद्यालयों में प्रतिवर्ष 'युवा संसद प्रतियोगिता' का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से बाहर आयोजित की जाने वाली किसी प्रतियोगिता

में भाग लेता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम/ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख). संसदीय कार्य मंत्रालय 1988 से ही केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। पिछले वर्ष अर्थात् 1993 में, 103 केन्द्रीय विद्यालयों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय स्कूल खेल-कूद परिसंच, भारत स्काउट तथा गाइड एवं विज्ञान प्रदर्शनी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में केन्द्रीय विद्यालय संगठन भाग लेता है तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन का
उपायुक्त

3332. श्री शिव चरण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जुलाई, 1994 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 606 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'के.सी.एस. ज्यूज' के मार्च- अप्रैल अंक में, मुख्यालय में श्री वी.के. जैन के उपायुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में प्रकाशित समाचार असत्य था;

(ख) यदि हां, तो इसका आज तक खंडन न किए जाने और इसे वापस न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संदर्भित प्रश्न के उत्तर में दिए गए तथ्यों से इसकी संगति कैसे बैठती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय में तैनात किए गए वरिष्ठतम सहायक आयुक्तों में से एक सहायक आयुक्त श्री वी.के. जैन को दिनांक 7-4-94 को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त के पद की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। श्री जैन सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेने के बाद दिनांक 31-7-94 को सेवानिवृत्त हो गए।